Title: Need for Central intervention to provide the allocation of water of Yamuna from Haryana to Rajasthan as per the agreement of 1994 − Laid.

श्री राम सिंह कस्वां (चुरू): महोदय, यमुना जल का राजस्थान के उपयोग हेतु हरियाणा राज्य से एम.ओ.यू. करवाने बाबत राजस्थान सरकार वर्षों से प्रयास कर रही है । दिनांक 12.5.94 को बेसिन राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश एवं संघीय राज्य दिल्ली के मध्यम हुए समझौते के अनुरूप राजस्थान को 1.119 बी.सी.एम. यमुनाजल आवंटित किया गया । राजस्थान राज्य ने इस जल को भरतपुर, चुरू एवं झुंझुनू जिलों के उपयोग हेतु दो प्रस्ताव तैयार किये हैं । केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा ने ताजेवाला हैड से यमुना जल के आवंटन पर असहमति दर्शाते हुए प्रकरण को अपर यमुना रिव्यू कमेटी को प्रस्तावित किया । रिव्यू कमेटी ने दिनांक 12.4.2006 की बैठक में राजस्थान को ताजेवाला से जल उपलब्धता के बारे में अपर यमुना रिव्यू कमेटी के परिपेक्ष में इस मुद्दे पर ताजा विचार करने हेतु राजस्थान, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सिंचाई जल संसाधन सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के गठन का निर्णय लिया गया, उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा गठित उस समिति की रिपोर्ट पर यमुना रिव्यू कमेटी में विचार विमर्श हुआ । कमेटी की बैठक में हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों की बीच तोजेवाला हैड वर्क्स पर पानी की उपलब्धता पर कोई मतभेद नहीं था, तोजेवाला हैड से चुरू एवं झुंझुनू जिलों के क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराया जा सकता है, लेकिन पानी को राजस्थान सीमा तक पहुंचाने हेतु नहरी तंत्र के विषय में सहमति नहीं बन रही है । हरियाणा चाहता है कि राजस्थान वेस्टर्न यमुना कैनाल, दिल्ली बांध, जे.एल.एन. फीडर के समान्तर एक किनारा कॉमन रखकर नई नहर का निर्माण राजस्थान सीमा तक करके पानी ले जावे, जबकि राजस्थान ताजेवाला से वेस्टर्न यमुना कैनाल एवं इसकी प्रणाली को रिमोडल करके पानी राजस्थान सीमा तक पहुंचाना तकनीकी वित्तीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानता है । राजस्थान सरकार ने बार-बार हरियाणा राज्य को उपरोक्तानुसार सहमति देने हेतु निवेदन किया है लेकिन हरियाणा सरकार यमुना जल के आवंटन के मसौदे पर हस्ताक्षर हेतु सहमत नहीं है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा सरकार को यमुना जल के आवंटन के मसौदे पर हस्ताक्षर करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।